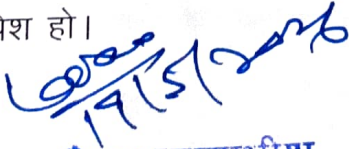


फर्द अहकाम
न्यायालय : विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ
अधिनियम केसेज (सेशन न्यायाधीश) दौसा
उन्वान : सरकार बनाम सीताराम
किस्म मुकदमा : सेशन प्रकरण संख्या-41/2025
सीएनआर नंबर : RJDS010011242025

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुआ।
19.05.2026	श्री गोपाल लाल शर्मा, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित। अभियुक्त सीताराम वर जमानत असालतन मय श्री रुपनारायण मीणा, विद्वान लीगल एड डिफेंस काउंसल उपस्थित। विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट पेश की, नकल अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दिलवाइ गई, शामिल पत्रावली रहे। साक्ष्य अभियोजन में उपस्थित गवाहान रामकंवार पी. डब्ल्यू 01 की अधूरी साक्ष्य आगे से लगातार लेखबद्ध की गई तथा गवाह रघुवीर सिंह की साक्ष्य बतौर पी. डब्ल्यू 03 लेखबद्ध की गई, जो पूर्ण हुई। गवाहान को रूखसत किया गया। गवाह संख्या 3 सुमेरसिंह व गवाह संख्या 5 पूनीलाल को जरिये जमानती वारण्ट तादादी मूल्य 2,000/- रुपये से तलब किया जावें। थानाधिकारी, पुलिस थाना, लवाण जिला दौसा को निर्देश हैं कि गवाहान की तामीलें हर सूरत में करवाकर उनकी साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति अनुपालना हेतु थानाधिकारी, थाना लवाण को जरिये ई-मेल भिजवाई जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में दिनांक 16.06.2026 को पेश हो।	सीतारामसेनी  सेशन न्यायाधीश दौसा (राज०)